भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 616

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

भूजल स्तर में भारी कमी वाले क्षेत्र को डार्क जोन के रूप में घोषित किया जाना

616. श्री धर्मबीर सिंहः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भूजल स्तर में भारी कमी वाले क्षेत्रों को डार्क जोन के रूप में घोषित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे वर्गीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड क्या हैं;

(ख) हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी जिलों में कितने ब्लॉकों को डार्क जोन घोषित किया गया है और उन्हें शामिल करने में सहयोग देने वाले विशिष्ट कारक क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन जिलों के शेष ब्लॉकों को डार्क जोन श्रेणी में शामिल करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा पहले से ही डार्क जोन के रूप में वर्गीकृत किए गए क्षेत्रों में भूजल स्तर को बहाल करने और स्थायी जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए क्या लक्षित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार के पास जल संरक्षण प्रयासों में स्थानीय किसानों और समुदायों को शामिल करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रभावित क्षेत्रों में इन पहलों को किस प्रकार लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सक्रिय भूजल संसाधनों का आकलन वार्षिक आधार पर केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और संबंधित राज्य नोडल/भूजल विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस आकलन के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ आकलन की गई यूनिटों को जो सामान्यतः तालुक/ब्लॉक/तहसील आदि होती हैं, 'सुरक्षित', 'अर्ध-गंभीर', 'गंभीर' और 'अति-दोहित' (जिसे पहले डार्क जोन कहा जाता था) श्रेणियों में, वर्गीकृत किया जाता है जो इस समय वर्गीकृत 'भूजल निष्कर्षण का स्तर (स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन)' के आधार पर किया जाता है। 'भूजल निष्कर्षण स्तर (स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन)' को कुल वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल के समक्ष, संसाधनों के सभी उपयोगों (सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू उपयोग) के कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।

वर्ष 2024 के पिछले आकलन के अनुसार, देश की कुल 6746 आकलन यूनिटों में से, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 751 यूनिटों (11.13%) को 'अति दोहित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख): भारत के 2024 के राष्ट्रीय गतिशील भूजल संसाधनों के संकलन के अनुसार, भिवानी जिले के आकलन किए गए सात ब्लॉकों में से चार को अति दोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। महेन्द्रगढ़ जिले में, आठ ब्लॉकों में

से छह और चरखी दादरी जिले में, चार ब्लॉकों में से दो को क्रमशः अति दोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इन सभी ब्लॉकों में जल निष्कर्षण का स्तर 100% से ऊपर है। इन जिलों में, विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत आकलन यूनिटों का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ग): यह वर्गीकरण, वार्षिक भूजल संसाधनों के आकलन और निष्कर्षण स्तर पर आधारित है जो संबंधित आकलन यूनिट/ब्लॉक के लिए विशिष्ट होता है।

(घ): जल, राज्य का विषय होने कारण भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए तथा इसमें सुधार के उपाए करने सहित जल कमी की समस्या से निपटने का कार्य राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। देश में, मंत्रालय द्वारा भूजल स्तर की गिरावट को रोकने और डार्क जोन सहित, भूजल संसाधनों के निरंतर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं: -

i. सरकार, वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान को कार्यान्वित कर रही है, जो वर्षा को संचित करने और जल संरक्षण संबंधी कार्यकलापों को किए जाने का एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। इस समय, देश में जल शक्ति अभियान- 2024 को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें देश के जल की कमी वाले 151 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जल शक्ति अभियान एक अम्ब्रैला अभियान है जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं के समन्वय से विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

ii. अटल भूजल योजना को हरियाणा सहित सात राज्यों के 80 जिलों में 229 जल की कमी वाले ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिससे इसे भागीदारी आधारित भूजल मांग पक्ष प्रबंधन पर केंद्रित किया जा सके। इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य जल की कमी वाली ग्राम पंचायतों में गिरते भूजल स्तर को रोकना है।

iii. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम) को शुरू किया है जिसका उद्देश्य जलभृतों की स्थिति और उनकी विशेषता को स्पष्ट करना है। इस योजना के अंतर्गत देश का लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर का पूरा मानचित्रण योग्य क्षेत्रफल मानचित्रित किया गया है और प्रबंधन योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।

iv. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण मास्टर प्लान- 2020 तैयार किया गया है और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है जिससे देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की व्यापक रूपरेखा प्रदान की जा सके और अनुमानित लागत के साथ लगभग 185 (बिलियन घन मीटर) बीसीएम जल का उपयोग किया जा सके।

v. कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, देश भर में वर्ष 2015-16 से प्रति बूंद अधिक फसल (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) योजना को कार्यान्वित कर रहा है, इसके केन्द्रित कार्यों में खेतों में सूक्ष्म सिंचाई और जल प्रबंधन की बेहतर प्रणालियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में बढ़ोत्तरी करना है जिससे कि उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग में सुधार लाया जा सके।

vi. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरूद्धार कार्य करना है। इसके परिणामस्वरूप, देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का विनिर्माण/पुनरूद्धार किया गया है।

vii. देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से इस मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की स्थापना की गई है। देश में भूजल निष्कर्षण और इसके उपयोग को केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.09.2020 की अपने दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार जो पूरे भारत वर्ष में लागू होते हैं, अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करते हुए विनियमित किया जाता है।

viii. देश में भूजल स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत सरकार की अन्य महत्वपूर्ण पहलों के विवरण को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है- https://jalshakti-dowr.gov.in/document/steps-taken-by-the-central-government-to-control-water-depletion-and-promote-rain-water-harvesting-conservation/

(ङ): केंद्र सरकार ने भूजल प्रबंधन को वास्तविक रूप से जन आंदोलन बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें से प्रमुख हैं:

i. भारत सरकार, अटल भूजल योजना को कार्यान्वित कर रही है, जिसका मुख्य विषय सामुदायिक नेतृत्व में, सतत जल संसाधनों के साथ मांग पक्ष का प्रबंधन करना है। इसके अंतर्गत, प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा जल बजट और जल सुरक्षा योजना तैयार की जाती है जिसमें स्थानीय समुदाय, विशेष रूप से किसान शामिल रहते हैं।

ii. जल शक्ति अभियान को वर्ष 2019 से देश में सक्रिय जनभागीदारी के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत देश के विभिन्न जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं जिससे कि स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत की जा सके और जल संबंधी जानकारियों का प्रसार किया जा सके।

iii. जल जीवन मिशन के तहत, समुदाय को शामिल किए जाने और जल गुणवत्ता संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को चिह्नित किया जाता है और उन्हें फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल नमूनों के परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अब तक, देश भर में 24 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

iv. जल शक्ति अभियान की गति को और मजबूती देने के लिए, भारत में जल के सतत विकास के लिए जल संचय जन भागीदारी: एक सामुदायिक-प्रेरित मार्ग का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 6 सितंबर, 2024 को सूरत, गुजरात में किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य जल की हर एक बूंद को सामूहिक प्रयासों के माध्यम से संरक्षित करना है जिसमें समाज और सरकार के समग्र दृष्टिकोण का अनुपालन किया जाता है।

v. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, स्थानीय भूजल संबंधी मामलों के बारे में विभिन्न जन संपर्क कार्यक्रम, जन जागरूकता कार्यक्रम, टियर-II और टियर-III जैसे कार्यक्रमों को आयोजित करता है, जिसमें जल संदूषकों के प्रभावों के बारे में जनता को शिक्षित करना और जल गुणवत्ता बनाए रखने की सतत प्रणालियों को बढ़ावा देना शामिल होता है।

*****

अनुलग्नक-।

'भूजल स्तर में भारी कमी वाले क्षेत्र को डार्क जोन के रूप में घोषित किया जाना' के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 616 भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

भारत के सक्रिय भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन - 2024 के अनुसार, हरियाणा के भिवानी, चरखी दादरी और महेन्द्रगढ़ जिलों में ओसीएस श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत आकलन यूनिटों के विवरण।

क्र.सं.	जिले का नाम	सुरक्षित आकलन यूनिटें	अर्ध गंभीर आकलन यूनिटें	गंभीर आकलन यूनिटें	अति-दोहित आकलन यूनिटें
1	भिवानी	1.बवानी खेड़ा			1.लोहारू
		2.भिवानी			2.कैरू
		3.सीवानी			3.तोशम
					4.बेहल
2	चखरी दादरी	1.बौंद			1.झोझु
		2.चखरी दादरी			2.बद्रा
3	महेंद्रगढ़		1.सतनाली	1.निजामपुर	1.कनीना
					2. नंगल चौधरी
					3. सिहमा
					4.महेंद्रगढ़
					5.नारनौल
					6. अटेली नंगल

*****